प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –466 / 2023

अनवान : –

1. बृजलाल पुत्र रामजस जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. परसाराम पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
2. हरदेई पत्नी कनीराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
3. कनीराम पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
4. पवनदीप पुत्र कनीराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
5. सरोज पत्नी परसाराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
6. भूपसिंह पुत्र रामजस जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
7. रामजीलाल पुत्र रामजस जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
8. सुलतान पुत्र रामजस जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थिति :– श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **वादी**

निर्णय **दिनांकः 13.06.2023**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा जसाना तहसील नोहर के अलग अलग चको में रावताराम व रामजस की दोनों भाईयों की संयुक्त भूमि थी जिसका हमने बाहमी बंटवारा कर लिया और मुताबिक हक हिस्सा अलग अलग सींव व डोल बनाकर काश्त करते है तथा दोनों चकों में खाता भी अलग अलग करवा लिया है लेकिन बाहमी बंटवारा के बाद चक 6 आरपीएम के खाता स0 158 / 139 की 1.2650 हैक्ट भूमि तथा चक 6 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 465 / 453 के प0न0 300 / 101(36) के किला न0 4 / 2 की 0.227 हैक्ट व किला न0 5 / 2 की 0.228 हैक्ट भूमि रावताराम के नाम हक से ज्यादा दर्ज हो गई है चुंकि रावताराम खातेदार फौत हो चुका है उसकी मृत्यु के बाद यह भूमि रावता के वारिसों के नाम दर्ज हो गई जो कि वर्तमान जमाबंदी में प्रतिवादी स0 1 ता 5 के नाम दर्ज है।

उक्त दोनों चको की 6 बीघा भूमि जिनका कब्जा आज भी वादी व तरतीबी प्रतिवादी स0 6 ता 8 के कब्जा काश्त में है लेकिन जमाबंदी में प्रतिवादी स0 1 ता 5 के नाम चली आ रही है इसिलए हमेशा विवाद का भय बना रहता है इसलिए चक 6 आरपीएम के खाता स0 158 / 139 में परसाराम पुत्र रामस्वरूप में व हरदेई का नाम तरमीम किया जाकर यह भूमि किला न0

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:31:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

16/1 की 0.183 हैक्ट, 17/1 की 0.184 हैक्ट, भूमि प्रतिवादी स0 6 के नाम तथा किला न0 16/2 की 0.070 हैक्ट, 17/2 की 0.069 हैक्ट, 24/1 की 0.114 हैक्ट, 25/1 की 0.114 हैक्ट, कुल 0.367 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 8 के नाम दर्ज की जावे तथा किला न0 24/2 की 0.139 है0 25/2 की 0.139 हैक्ट व चक 6 बारानी के खाता स0 465/453 के किला न0 300/401 (36) के किला न0 4/2 की 0.227 हैक्ट, 5/2 की 0.228 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादी स0 7 के नाम दर्ज की जाकर कनीराम व सरोज के हिस्से में कर दी जावें। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा की वादी के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादीगण का वाद डिक्री फरमावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण स0 1 ता 8 ने उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री फरमाया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है।

प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही। साक्ष्यवादी में वादी द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 का इकबाल/आपसी सहमति मजमें आम में पेश होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादीग के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादीगण स0 1 ता 8 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 6 आरपीएम के खाता स0 158/139 की 1.2650 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 व हरदेई के नाम तथा चक 6 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 465/453 की 16.4560 हैक्ट भूमि प्रतिवादीगण स0 3 ता 5 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी एवं प्रतिवादीगण मुताबिक पारिवारिक समझौता उक्त वाद भूमि को बाहमी बंटवारे के अनुसार रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है। प्रतिवादीगण स0 1 ता 8 द्वारा इकबाल जवाब दावा पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण स0 1 ता 8 को कोई एतराज नही है। वादी के वाद को प्रतिवादीगण स0 1 ता 8 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वादी का अनुतोष स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:51:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 6 आरपीएम के खाता स0 158/139 में प्रतिवादी स0 1 व हरदेई का नाम कलमजन किया जाकर किला न0 16/1 की 0.183 हैक्ट, 17/1 की 0.184 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 6 को खातेदारक काश्तकार घोषित किया जाता है तथा किला न0 16/2 की 0.070 हैक्ट, 17/2 की 0.069 हैक्ट, 24/1 की 0.114 हैक्ट, 25/1 की 0.114 हैक्ट कुल 0.367 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 8 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा किला न0 24/2 की 0.139 हैक्ट, 25/2 की 0.139 हैक्ट भूमि तथा चक 6 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 465/453 के किला न0 300/401(36) के किला न0 4/2 की 0.227 हैक्ट, 5/2 की 0.228 हैक्ट भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 7 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 13/6/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–लाखासर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:51:16 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –466 / 2023

अनवान : –

1. बृजलाल पुत्र रामजस जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. परसाराम पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
2. हरदेई पत्नी कनीराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
3. कनीराम पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
4. पवनदीप पुत्र कनीराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
5. सरोज पत्नी परसाराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
6. भूपसिंह पुत्र रामजस जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
7. रामजीलाल पुत्र रामजस जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
8. सुलतान पुत्र रामजस जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 466 सन 2023 निर्णय दिनांक 13.06.2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 6 आरपीएम के खाता स0 158 / 139 में प्रतिवादी स0 1 व हरदेई का नाम कलमजन किया जाकर किला न0 16 / 1 की 0.183 हैक्ट, 17 / 1 की 0.184 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 6 को खातेदारक काश्तकार घोषित किया जाता है तथा किला न0 16 / 2 की 0.070 हैक्ट, 17 / 2 की 0.069 हैक्ट, 24 / 1 की 0.114 हैक्ट, 25 / 1 की 0.114 हैक्ट कुल 0.367 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 8 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा किला न0 24 / 2 की 0.139 हैक्ट, 25 / 2 की 0.139 हैक्ट भूमि तथा चक 6 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 465 / 453 के किला न0 300 / 401(36) के किला न0 4 / 2 की 0. 227 हैक्ट, 5 / 2 की 0.228 हैक्ट भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 7 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 / – रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 13/6/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:51:16 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–लाखासर